XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वाद संख्या–104/2011

धारा–6A E.C Act अन्तर्गत

राज्य

बनाम्

रामनरेश झा, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, गोपनगर, परसा, थाना–बी0 कोठी, जिला–पूर्णियाँ..... विपक्षी

आदेश

यह वाद गोपीनगर परसा के ग्रामीणों द्वारा मध्याहन भोजन योजना अन्तर्गत प्राप्त चावल (एक क्वींटल) को प्रधानाध्यापक (विपक्षी) द्वारा बेचने के उद्देश्य से ले जाते समय पकड़कर बी0 कोठी थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या–136/2011 के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा ने अपने पत्रांक 321/गो0, दिनांक 02.06.2011 द्वारा जप्त चावल को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6A अन्तर्गत अधिग्रहित करने का अनुरोध किये है।

विपक्षी का कथन है कि जप्त चावल मध्याहन भोजन योजना अन्तर्गत विद्यालय को प्राप्त हुआ था, जो बहुत गंदा था और खाने योग्य नहीं था। विद्यालय के रसोईया के सलाह पर चावल को सफाई करने के उद्देश्य से रसोईया के घर भेजा जा रहा था और ग्रामीणों ने उसे जप्त कर बी0 कोठी थाना में जमा करवा दिया। विपक्षी अपने कारण पृच्छा के साथ अनुलग्नक के रूप में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति, ग्रामीणों (सूचक) के द्वारा दिये गये आवेदन की छाया प्रति एवं रसोईया द्वारा दिये गये आवेदन की छाया पति संलग्न किये हैं।

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति में विपक्षी के कथन की पुष्टि की गयी है और विपक्षी को आरोप से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

ग्रामीणों एवं रसोईया ने भी विपक्षी के कथन का समर्थन किया है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 30.10.2011 को सुना गया। पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस मामले में आपत्तिकर्त्ता एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा विपक्षी के पक्ष में बयान दिया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि प्रधानाध्यापक के द्वारा निश्चित रूप से गलती हुई है, परन्तु ग्रामीणों/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा विपक्षी के पक्ष में बयान दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं दोनों पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	है। इसलिये इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ जिला दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ